मु०नं० 75/19 सरकार / रेलिक्स रैफरी जेन्टल

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

/19 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधि० 1956 की धारा 131, 136 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिठुजा का भूमि खसरा नं. 94 पूर्व में सरकारी भूमि था जो अलग 2 व्यक्तियों को आवंटन / नियमन हुई। पुराने ट्रेस-ट्रेस से आंशिक हुई खसरो की तरमीम की हुई है जो संलग्न परिशिष्ट "ब" के लाल रंग से दर्शित है। प्रार्थी इस परिशिष्ट 'अ' में दर्शित भूमि खसरा नं. 94 के समस्त बटा नं. की परिशिष्ट 'ब' में बताए अनुसार तरमीम का आदेश देने का निवेदन किया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विप्रार्थी खातेदारान को नोटिस जारी किया गया। विप्रार्थी संख्या 07 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नं. 94 में आंशिक तरमीम पुराने ट्रेस में है जो संलग्न परिशिष्ट 'ब' में लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसे वर्तमान ट्रेस में दर्ज करवाना तहसीलदार का कर्तव्य

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	
	है जिसके पीछे किसी न्यायालय से आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नही है। शेष खसरा न. की संलग्न परिशिष्ट 'ब' में काली स्याही से दर्शा कर प्रस्तावित की गई है एवं इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया गया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 शुद्धि की है, जिसमें किसी गलती को शुद्ध हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को नए सिरे से तरमीम प्रस्तावित की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner